न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2021(2021/192)

1. सूरजमल पुत्र श्री लादूराम बैरवा।
2. ललाराम पुत्र श्री लादूराम बैरवा।
3. उगमा पुत्र श्री गोगा बैरवा।
4. सुगनी पत्नी श्री गोगा बैरवा।

—प्रार्थी

बनाम

1. राधा पत्नी श्री कालू बैरवा।
2. रामदयाल पुत्र श्री कालू बैरवा।
3. रामनारायण पुत्र श्री काना बैरवा।

   सभी निवासीगण ग्राम उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।

4. केसर पुत्री श्री काना बैरवा पत्नी श्री गोकल आयु व्यस्क फौत वजाय वारिस

   4/1. नाथु पुत्र श्री गोकुल बैरवा निवासी ग्राम मेवदाकलां तहसील केकडी जिला अजमेर।

5. रामप्यारी पत्नी श्री कालू बैरवा पत्नी श्री रतनलाल।
6. रामप्रसाद पुत्र श्री काना बैरवा।
7. श्रीकिशन पुत्र श्री काना बैरवा।

   निवासीगण ग्राम उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।

8. कन्या पत्नी श्री छीतर पत्नी श्री रामस्वरूप आयु व्यस्क निवासी सवाईपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. कमला पत्नी श्री छीतर बैरवा।
10. कैलाश पुत्र श्री हरदेव बैरवा।
11. कविता पुत्री रामदेव आयु नाबालिग जाति बैरवा जरिये प्राकृतिक वली एवं संरक्षिका माता छोटी देवी पत्नी श्री रामदेव।
12. प्रकाश पुत्र रामदेव आयु नाबालिग जाति बैरवा जरिये प्राकृतिक वली एवं संरक्षिका माता छोटी देवी पत्नी श्री रामदेव।
13. कान्ता पुत्री श्री रामदेव बैरवा।
14. छोटी देवी पत्नी श्री रामदेव बैरवा।

    निवासीगण उगांई तहसील केकडी जिला अजमेर।

15. गीता पुत्री श्री छीतर पत्नी श्री गोपाल बैरवा निवासी कुमावतो का नयागांव तहसील केकडी।
16. गोपाल पुत्र श्री सुखा बैरवा निवासी उंगाई तहसील केकडी।
17. देवी पुत्र श्री हीरा बैरवा निवासी उगाई तहसील केकडी फौत वजाय वारिसान

    17/1. सीताराम पुत्र श्री देवी बैरवा।

    17/2. धर्मा पुत्र श्री देवी बैरवा।

    17/3. गीता पुत्री श्री देवी पत्नी श्री जगदीश बैरवा निवासी काचरिसा तहसील केकडी।

18. धन्ना पुत्र श्री सुखा बैरवा निवासी उंगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
19. प्रहलाद पुत्र श्री हीरा बैरवा आयु वयस्क निवासी उगाई तहसील केकडी।
20. बद्रीलाल पुत्र श्री सुखा बैरवा निवासी उगाई फौत वजाय वारिसान

    20/1. घीसालाल पुत्र श्री बद्रीलाल निवासी उगाई।

21. महादेव पुत्र श्री सुखा बैरवा निवासी उगाई।
22. मानी पत्नी श्री हरदेव बैरवा निवासी उगाई।
23. रघुनाथ पुत्र श्री हीरा बैरवा निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक।
24. रतना पुत्र श्री हीरा बैरवा निवासी उगाई फौत नाबालिग जरिये वारिसान

    24/1. सीताराम

    24/2. धर्मा

    24/3. गीता

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

25. शंकरलाल पुत्र श्री छीतर बैरवा निवासी उगांई तहसील केकडी।
26. काना पुत्र श्री भोलू बैरवा आयु व्यस्क निवासी उंगाई फौत वजाय वारिस
27. मूला पुत्र श्री कजोड बैरवा निवासी उगांई तहसील केकडी।
27/1. किशना पुत्र मूला बैरवा निवासी उंगाई तहसील केकडी।
28. रतना पुत्र श्री कजोड बैरवा निवासी उंगाई तहसील केकडी फौत जर्ये वारिसान
28/1. सीताराम पुत्र रतना बैरवा निवासी उगांई तहसील केकडी।
29. सूजा पुत्र श्री कजोड बैरवा निवासी उगाई फौत वजाय वारिस सांवरलाल पुत्र श्री सूजा बैरवा निवासी उगाई तहसील केकडी।
30. सोनारायण पुत्र श्री कजोड बैरवा निवासी उगाई फौत जर्ये वारिसान
30/1. प्रहलाद पुत्र श्री सोनारायण।
30/2. बनवारी पुत्र श्री सोनारायण।
30/3. किशनलाल पुत्र श्री सोनारायण।
30/4. जगदीश पुत्र श्री सोनारायण।
30/5. हेमराज पुत्र श्री सोनारायण।
30/6. कैलाश पुत्र सोनारायण फौत बजाय वारिस
30/6/1. माया पत्नी श्री कैलाश
30/6/2. दीपू पुत्र श्री कैलश नाबालिग
30/6/3. खुशबू पुत्री श्री कैलाश नाबालिग
30/6/4. करिश्मा पुत्री श्री कैलाश नाबालिगान जरिये वली एवं प्राकृति संरक्षक माता माया पत्नी श्री कैलाश बैरवा जाति बैरवा निवासीगण उगांई तहसील केकडी जिला अजमेर।
31. हस्तू पत्नी श्री हीरा बैरवा निवासी उंगाई फौत बजाय उसके वैघ वारिस एवं उतराधिकारी

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री मिठू सिंह राठौड — वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार जरिर्ये तहसीलदार केकडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

—:निर्णयः—

दिनांक 20.9.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित हुये। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट पेश कर निवेदन किया प्रार्थी की आराजीयात ग्राम उगाई तहसील केकडी में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि 463, 465, 466, 468, 469, 476 में आने जाने, बैलगाडी, जानवरो इत्यादि के आने जाने हेतु काश्त करने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खसरा संख्या 463, 465, 466, 468, 469, 476 में से दिलाना हेतु निवेदन किया प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार एवं तत्पर है आवागमन हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नही व उक्त अप्रार्थीगण के खसरा नंबर से दर्शित नजरी नक्शा अनुसार ही रास्ता निकटतम है अतः रास्ता दिलाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वयं पेश होकर रास्ता देने में कोई आपत्ति नही होना बताया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार केकडी ने जवाब/मौका रिपोर्ट अनुसार निम्नानुसार पेश कियाः—

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम उगाई की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 273 के खसरा नंबर 457 रकवा 1.93हैक्टर, में आने वादी द्वारा खसरा नंबर 476, 459, 470, 468, 466, 465, 463 में से रास्ता चाहा गया है प्रार्थी वर्तमान में जयपुर–भीलवाडा मुख्य सडक से जाने वाले खसरा नंबर 475 गै.मु.रास्ता खातेदार के नाम दर्ज से होते हुए खसरा नंबर 476 जो वादी के सहखातेदी में दर्ज है से होते हुए खसरा नंबर 469 रकवा 0.13 गै.मु. खड्डा से होते हुए गैर खातेदारी में दर्ज गै.मु.पाल के खसरा नंबर 467 व खसरा नंबर 463 से होते हुए वादी के खसरा नंबर 457, 458, 459 में जाता है प्रार्थी बिन्दू संख्या 1 के अनुसार आवागमन कर रहा है तथा खसरा नंबर 470, 476 में वादी सहखातेदार है तथा खसरा नंबर 476 पर मौका स्थिति के अनुसार मध्य मे काश्त कर रहे है तथा सहखातेदारो के मध्य रिकोर्ड में बंटवारा नही है वादी के अनुसार खसरा नंबर 468, 466, 465, 463 में चार मीटर चौडा रास्ता चाहा गया है उक्त खसरा नंबर केसर पत्नि काना हिस्सा 5/24, रामनारायण हिस्सा 5/24, श्रीकिशन हिस्सा 5/24 पिता काना, राधा पत्नि कालू हिस्सा 5/96, रामदयाल हिस्सा 13/96 पिता कालू कौम व सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। अतः खसरा नंबर 470 एवं 476 में वादी सहखातेदार होने रास्ता निर्धारण संभव नही है तथा खसरा नंबर 468, 466, 465, 463 में 4 मीटर चौडा तथा कुल 248 मीटर लम्बा नजरी नक्शे अनुसार रास्ता दिया जा सकता है रास्ता का कुल क्षेत्रफल 0.10हैक्टर बनता है जो कि खसरा नंबर 468 में 0.03, खसरानंबर 466 में 0.02, खसरा नंबर 465 में 0.025 व खसरा नंबर 463 में 0.025हैक्टर बनता है कि खसरा नंबर 467 गै0मु0पाल के लगता है रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.10हैक्टर है जिसकी डी.एल.सी दर 301158 रूपये प्रतिहैक्टर की दर से दुगना से 60232(साठ हजार दो सौ बत्तीस) बनते है रास्ता दिया जाना उचित है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी अधिवक्ता व पेरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्तो द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 457, 458, 459 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 468 में 0.03, खसरा नंबर 466 में 0.02हैक्टर, खसरा नंबर 465 में 0.025 व खसरा नंबर 463 में 0.025हैक्टर बनता है खसरा नंबर 467 गै.मु.पाल के लगवा है रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.10हैक्टर जिसकी वर्तमान डी0एल.सी दर 301158रूपये प्रतिहैक्टर की दर से दुगने 60232रूपये (साठ हजार दो बत्तीस रूपये) बनते है अप्रार्थीगण को उक्त राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर रास्ता दिया जाना उचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 457, 458, 459 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 463 में 0.025, 465 में 0.025हैक्टर, 466 में 0.02हैक्टर, 468 में 0.03हैक्टर, व खसरा संख्या 470 व 476 में वादी सहखातेदार होने व उक्त खसरो में वादी मध्य में काश्त कर रहे है अतः कुल 248मीटर लम्बा नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.10हैक्टर बनता है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी दर से दुगुना करने पर 60232रूपये(साठ हजार दो सौ बत्तीस रूपये) बनते है जो अप्रार्थीगण को जमा करवाने के बाद प्रार्थी को मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार केकडी उक्त राशि अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी कर उक्त राशि उपलब्ध करावे अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने पर नियमानुसार राजकोष में जमा करावाई जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)